न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—**दिव्या RAS**

प्रकरण संख्याः—40 / 2024

वादपत्र अन्तर्गत धाराः— 53, 88 आर.टी.ए.

1. रामचन्द्र पुत्र श्री हाकम सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ
2. लक्ष्मण पुत्र श्री हाकम सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ
3. लाल सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
4. मखनराम पुत्र श्री हाकम सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ

—: वादीगण

बनाम्

1. पूर्णराम पुत्र श्री गहनाराम जाति बाजीगर निवासी रोडावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ
2. हजाराराम पुत्र श्री गंडाराम जाति बाजीगर निवासी रोडावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ
3. नुरी बाई पुत्री श्री गंडाराम पत्नी श्री रंगाराम जाति बाजीगर निवासी रोडावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
4. सिंगारा सिंह उर्फ सिंगाराराम पुत्र श्री गंडाराम (फौत)
   4/1 बलवीर राम पुत्र सिंगाराराम उर्फ सिंगारा सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
   4/2 गुरचरण सिंह पुत्र श्री सिंगाराराम उर्फ सिंगारा सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
   4/3 नसीब कौर पत्नि श्री सिंगाराराम उर्फ सिंगारा सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
   4/4 शिवचरण सिंह पुत्र श्री सिंगाराराम उर्फ सिंगारा सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
   4/5 सुखचरण सिंह पुत्र श्री सिंगाराराम उर्फ सिंगारा सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
   4/6 राणी कौर पुत्री सिंगाराराम उर्फ सिंगारा सिंह पत्नी कर्मजीत सिह जाति बाजीगर निवासी बंगी रूलदू, तहसील तलवण्डी साबो जिला बठिण्डा (पंजाब)
5. जीतो पुत्री श्री गंडाराम पत्नी श्री प्यारा सिंह जाति बाजीगर निवासी रायेका कला तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
6. भानो बाई पुत्री श्री गंडाराम पत्नी श्री लाटदास जाति बाजीगर निवासी लहरा गागा जिला संगरूर (पंजाब)
7. दारो बाई पुत्री हाकम सिंह पत्नी जामुराम जाति बाजीगर निवासी मोजूखेडा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
8. बसो उर्फ बस्ती देवी पुत्री हाकम सिंह पत्नी ताराराम जाति बाजीगर निवासी फतेहगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
9. सुखो बाई पुत्री हाकम सिंह पत्नी पहलवान जाति बाजीगर निवासी मंगाला तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
10. प्रीतो पुत्री हाकम सिंह पत्नी महेन्द्र जाति बाजीगर निवासी 40 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)
11. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री महेन्द्र सिंह संधू — अधिवक्ता वादी
2. श्री विश्वजीत सिंह — अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 4/1 ता 4/6, 5 ता 10
3. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 11

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:12:07 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 05.03.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि चक 6 केकेडब्ल्यू तहसील व हनुमानगढ के खाता सख्या 34/31, खाता गंडाराम आदि, ज.स. 2074—2077 के प.न. 122/218 (85) कि. न. 11 ता 20, 25/.253 है. प्रत्येक कुल 2.783 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि चक न. 11 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 82/58, खाता गंडाराम आदि, ज.स. 2077–2080 के प.न. 123/218 (13) कि. न. 11 ता 14/.253 है., 16/1/.228, 16/2/.025, 17 ता 24/.253 है. प्रत्येक, 25/1/.228, 25/2/.025 कुल 3.542 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि पूर्व में उक्त आराजी चक न. 11 एलएलडब्लयू की आराजी थी तथा चक न. 11 एलएलडब्लयू में 25 बीघा आराजी थी जिसमें 25 बीघा आराजी गणपतराम के नाम थी तथा गणपतराम द्वारा अपनी 25 बीघा आराजी में से जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 14.09.1973 प.न. 122/218 कि. न. 11 ता 15, प.न. 123/218 कि. न. 11 ता 13, 18, 19 कुल 10 बीघा आराजी हाकम सिंह को विशिष्ट बीघे बैय कर दिए तथा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 14.09.1973 प.न. 122/218 कि. न. 16 ता 20, 25, प.न. 123/218 कि. न. 20 ता 23 कुल 10 बीघा आराजी गंडाराम को विशिष्ट बैय कर दिये तथा दिनांक 25.05.1974 को प.न. 123/218 कि. न. 14, 16, 17, 24, 25, कुल 5 बीघा रामरख पुत्र मोटाराम को बैय कर दी तथा रामरख पुत्र मोटाराम द्वारा दिनांक 22.03.1977 को उक्त 05 बीघा आराजी गहनाराम को विशिष्ट बीघे बैय कर दिये।

यह कि उक्त 25 बीघा आराजी जो चक न. 11 एलएलडब्लयू की आराजी थी, बाद में दो चको में विभक्त हो गई, जिसमें चक न. 6 केकेडब्लयू मे प.न. 122/218 (86) कि. न. 11 ता 20, 25/.253 है. प्रत्येक कुल 2.783 है. आराजी जो वर्तमान में खाता सख्या 34/31, खाता गंडाराम आदि, ज.स. 2074–2077 में दर्ज है तथा चक न. 11 एलएलडब्लयू में प.न. 123/218 (13) कि. न. 11 ता 14/.253 है., 16/1/.228, 16/2/.025, 17 ता 24/.253 है. प्रत्येक, 25/1/.228, 25/2/.025 कुल 3.542 है. आराजी जो वर्मंमान में खाता संख्या 82/58, खाता गंडाराम आदि, ज.स. 2077–2080 में दर्ज है परन्तु दोनो खातो में हिस्सा कस्सी पूर्वानुसार 25 बीघा की ही चलती रही जिस कारण उक्त दोनो खाते विवादित हो गये जबकि दोनो खातो में कुल 2.530 है. आराजी गंडाराम की, 2.560 है. आराजी हाकम सिंह की व 1.265 है. पूर्णराम पुत्र गहनाराम की आराजी है।

यह कि गहनाराम पुत्र सोहनाराम द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीदशुदा आराजी चक न. 11 एलएलडब्लयू मे स्थित है, जिसमें गहनाराम के मृत्यु दिनांक 15.02.1988 उपरान्त उसकी पत्नी व पुत्रीयों द्वारा हक त्याग उपरान्त उक्त 05 बीघा आराजी पूर्णराम पुत्र गहनाराम के नाम जरिये नामान्तरण सख्या 132 दर्ज हुई तथा वर्तमान मे गहनाराम का नाम चक न. 6 केकेडब्लयू खाता सख्या 34/31 से कमलजन करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 पूर्णराम अपने पिता द्वारा विशिष्ट बीघे जो खरीद किये गये थे, का खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी है।

यह कि वादीगण के पिता हाकम सिंह द्वारा खरीदशुदा प.न. 122/218 कि. न. 11 ता 15, प.न. 123/218 कि. न. 11 ता 13, 18, 19 कुल 10 बीघा आराजी में से वर्तमान में चक न. 6 केकेडब्लयू में प.न. 122/218 कि. न. 11 ता 15 व चक न. 11 एलएलडब्लयू, खाता सख्या 82/58 में प.न. 123/218 कि. न. 11 ता 13, 18, 19 में दर्ज है तथा खातेदार हाकम सिह दिनांक 27.07.2023 को फौत हो चुका है तथा हाकम सिह की पत्नी महंगी बाई दिनांक 30.03.2022 को फौत हो चुकी है। हाकम सिंह की मृत्यु उपरान्त उसके जायज व कानूनी वारिसान वादीगण सख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी सख्या 7 से 10 है। प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 द्वारा अपने पिता से विरासतन प्राप्त होने वाले हिस्से का परित्याग अपने भाईयों वादीगण के पक्ष में बहिस्सा किया हुआ है तथा इसी अनुसार वादीगण अपने हक – हिस्सा की आराजी पर काबिज चले आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता के नाम दर्ज होने से वादीगण के हितो पर विपरित प्रभाव पड रहा है तथा वादीगण द्वारा अपने हक व हिस्से का आराजी का घराघरू बंटवारा किया हुआ है तथा मुताबिक घराघरू बंटवारा वादीगण को प्राप्त आराजी का विवरण निम्न अनुसार है –

(i) हिस्सा वादी सख्या 1 रामचन्द्र (.632 है.) – चक न. 11 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 82/58, खाता गंडाराम आदि, ज.स. 2077–2080 के प.न. 123/218 (13) कि. न. 11, 12/.253 है. प्रत्येक, 13/.126 है. (उतर ओर) कुल .632 है.।

(ii) हिस्सा वादी सख्या 2 लक्ष्मण (.633 है.) – चक न. 6 केकेडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 34/31, खाता गंडाराम आदि, ज.स. 2074–2077 के प.न. 122/218 (86) कि. न. 11, 12/.253 है. प्रत्येक, 13/.127 है. (पश्चिम ओर) कुल .633 है. आराजी।

(iii) हिस्सा वादी सख्या 3 लाल सिंह (.632 है.) – चक न. 6 केकेडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 34/31, खाता गंडाराम आदि, ज.स. 2074–2077 के प.न. 122/218 (86) कि. न. 13/.126 है. (पूर्व ओर), 14, 15/.253 है. प्रत्येक कुल .632 है. आराजी।

(iv) हिस्सा वादी सख्या 4 मखनराम (.633 है.) – चक न. 11 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 82/58, खाता गंडाराम आदि, ज.स. 2077–2080 के प.न. 123/218 (13) कि. न. 13/.127 है. (दक्षिण ओर), 18/.253, 19/.253 है. प्रत्येक कुल .633 है.।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:21:07 IST
Reason: SelfAttested

(v) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 पूर्णराम – चक न. 11 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 82/58, खाता गंडाराम आदि, ज.स. 2077–2080 के प.न. 123/218 (13) कि. न. 14/.253 है., 16/1/.228, 16/2/.025, 17, 24/.253 है. प्रत्येक, 25/1/.228, 25/2/.025 कुल 1.265 है. आराजी।

यह कि प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के पिता गंडाराम द्वारा खरीदशुदा प.न. 122/218 कि. न. 16 ता 20, 25, प.न. 123/218 कि. न. 20 ता 23 कुल 10 बीघा आराजी में से वर्तमान में चक न. 6 केकेडब्लयू में प.न. 122/218 कि. न. 16 ता 20, 25 व चक न. 11 एलएलडब्लयू, खाता सख्या 82/58 में प.न. 123/218 कि. न. 20 ता 23 में दर्ज है तथा खातेदार गंडाराम दिनांक 01.06.2007 को फौत हो चुका है तथा गंडाराम की पत्नी पालो बाई दिनांक 25.04.2014 को फौत हो चुकी है तथा गंडाराम का पुत्र सिंगारा सिंह उर्फ सिंगाराराम दिनांक 04.07.2015 को फौत हो चुका है। गंडाराम की मृत्यु उपरान्त उसके जायज व कानूनी वारिसान प्रतिवादी सख्या 2 ता 6 है व गंडाराम के पुत्र सिंगारा राम उर्फ सिगारा सिंह की मृत्यु उपरान्त उनके जायज व कानूनी वारिसान प्रतिवादी सख्या 4/1 से 4/6 है। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 द्वारा अपने पिता गंडाराम से विरासतन प्राप्त होने वाले हिस्से का परित्याग अपने भाईयों व बहिन प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 के पक्ष में बहिस्सा किया हुआ है तथा सिंगाराराम उर्फ सिंगारा सिंह के जायज व कानूनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 4/3 से 4/6 द्वारा अपने विरासतन प्राप्त होने वाले हक हिस्से का परित्याग प्रतिवादी संख्या 4/1 व 4/2 के पक्ष में किया हुआ है, इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4/1, 4/2 अपने हक – हिस्सा की आराजी पर काबिज चले आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में गंडाराम के नाम दर्ज होने से उनके हितो पर विपरित प्रभाव पड रहा है तथा प्रतिवादी संयख्या 2, 3, 4/1, 4/2 द्वारा अपने हक व हिस्से का आराजी का घराघरू बंटवारा अच्छी मन्दी आराजी अनुसार किया हुआ है तथा मुताबिक घराघरू बंटवारा प्रतिवादी संयख्या 2, 3, 4/1, 4/2 को प्राप्त आराजी का विवरण निम्न अनुसार है –

(i) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 हजाराराम – चक न. 6 केकेडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 34/31, खाता गंडाराम आदि, ज.स. 2074–2077 के प.न. 122/218 (86) कि. न. 16/.253, 17/.126 (पूर्व), 25/.253 है. कुल .632 है. आराजी। चक न. 11 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 82/58, खाता गंडाराम आदि, ज.स. 2077–2080 के प.न. 123/218 (13) कि. न. 20/.253 है. कुल .253 है.।

(ii) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 3 नुरी बाई – चक न. 11 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 82/58, खाता गंडाराम आदि, ज.स. 2077–2080 के प.न. 123/218 (13) कि. न. 21 ता 23/.253 है. प्रत्येक कुल .759 है. आराजी।

(iii) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 4/1 बलवीर राम – चक न. 6 केकेडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 34/31, खाता गंडाराम आदि, ज.स. 2074–2077 के प.न. 122/218 (86) कि. न. 17/.127 है. (पश्चिम), 18/.253, 19/0.063 है. (पूर्व ओर) कुल .443 है.।

(iv) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 4/2 गुरचरण सिंह चक न. 6 केकेडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 34/31, खाता गंडाराम आदि, ज.स. 2074–2077 के प.न. 122/218 (86) कि. न. 19/.190 है. (पश्चिम ओर), 20/.253 है. कुल .443 है.।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण वाद पत्र की मद संख्या 2 में कृषि भूमि की वाद पत्र की मद संख्या 7 व 8 के अनुसार घोषणा करवाकर उसी अनुसार खाता तक्सीम करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

यह कि वाद पत्र की मद सख्या 2 में चक न. 6 केकेडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 34/31, खाता गंडाराम आदि, ज.स. 2074–2077 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि को विलोपित करवाकर वाद पत्र की मद सख्या 7 व 8 के अनुसार वादी संख्या 2 व 3 के नाम 1.265 है. व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम .632 है. व प्रतिवादी संख्या 4/1 के नाम .443 है., प्रतिवादी संख्या 4/2 के नाम .443 है. की घोषणा करवाकर वाद पत्र की मद सख्या 7 व 8 के अनुसार खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी है तथा वाद पत्र की मद संख्या 3 में चक न. 11 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 82/58, खाता गंडाराम आदि में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि को विलोपित करवाकर वाद पत्र की मद संख्या 7 व 8 के अनुसार वादी संख्या 1 व 4 के नाम 1.265 है., प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.265 है., प्रतिवादी संख्या 2 के नाम .253 है., प्रतिवादी संख्या 3 के नाम .759 है. आराजी की घोषणा करवाकर वाद पत्र की मद संख्या 7 व 8 के अनुसार खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:12:07 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को एक सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि वाद पत्र की मद संख्या 2 व 3 में दर्ज आराजी घराघरू बंटवारा वाद पत्र की मद संख्या 7 व 8 के अनुसार घोषणा

करवाकर उक्तानुसार खाता अलग कायम करवा देवे प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 11 भू–धारक होने के कारण उक्त वाद पत्र में बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया है।

यह कि वाद माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कि वाद पत्र की चरण सख्या 2 व 3 में दर्ज आराजी का वाद पत्र की मद संख्या 7 व 8 के अनुसार घोषणा की जाकर उक्तानुसार खाता अलग कायम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

≈ वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 4/1 ता 4/6, 5 ता 10 की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत सिंह ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 3 जवाब सहमति, प्रतिवादी सं. 4/1, 4/2 जवाब सहमति, प्रतिवादी सं. 4/3 ता 4/6 जवाब हक त्याग प्रतिवादी सं. 4/1 ता 4/2 के पक्ष में, प्रतिवादी सं. 5, 6 जवाब हक त्याग प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पक्ष में, प्रतिवादी सं. 7 ता 10 जवाब हक त्याग वादी सं. 1 ता 4 के पक्ष में। वादी ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 11 की तरफ से जवाब स्टेट पेश किया गया। पत्रावली के अवलोकन से कोई विरोधाभास नही है इसलिए तनकीयात विरचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

≈ पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील उभयपक्ष ने वाद पत्र डिक्री किए जाने का निवेदन किया। इसलिए वादीगण वाद, स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

अतः वादीगण वाद मुताबिक राजीनामा के अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से किया जाता है कि::–**चक न. 6 केकेडब्लयू** तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 34/31, खाता गंडाराम आदि, ज. स. 2074–2077 में दर्ज कुल रकबा 2.783 है. की वर्तमान प्रविष्टि को विलोपित कर वादी सं. 2, 3 प्रतिवादी सं. 2, 4/1, 4/2 का हिस्सा निम्नानुसार विभाजित कर खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है–

(i) हिस्सा वादी सख्या 2 लक्ष्मण (.633 है.) – प.न. 122/218 (86) कि. न. 11, 12/.253 है. प्रत्येक, 13/.127 है. (पश्चिम ओर) कुल .633 है. आराजी।

(ii) हिस्सा वादी सख्या 3 लाल सिंह (.632 है.) – प.न. 122/218 (86) कि. न. 13/.126 है. (पूर्व ओर), 14, 15/.253 है. प्रत्येक कुल .632 है. आराजी।

(iii) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 हजाराराम – प.न. 122/218 (86) कि. न. 16/.253, 17/.126 (पूर्व), 25/.253 है. कुल .632 है. आराजी।

(iv) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 4/1 बलवीर राम – प.न. 122/218 (86) कि. न. 17/.127 है. (पश्चिम), 18/.253, 19/0.063 है. (पूर्व ओर) कुल .443 है.।

(v) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 4/2 गुरचरण सिंह – प.न. 122/218 (86) कि. न. 19/.190 है. (पश्चिम ओर), 20/.253 है. कुल .443 है.। उक्त खाते से खातेदार गंडाराम, खातेदार गहनाराम व खातेदार हाकमसिंह का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है।

चक न. 11 एलएलडब्ल्यू तह. हनुमानगढ के खाता संख्या 82/58, खाता गंडाराम आदि, ज. स. 2077–2080 कुल रकबा 3.542 है. की वर्तमान प्रविष्टि को विलोपित कर वादी सं. 1, 4 प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 का हिस्सा निम्नानुसार विभाजित कर खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है–

(i) हिस्सा वादी सख्या 1 रामचन्द्र (.632 है.) – प.न. 123/218 (13) कि. न. 11, 12/.253 है. प्रत्येक, 13/.126 है. (उतर ओर) कुल .632 है.।

(ii) हिस्सा वादी सख्या 4 मखनराम (.633 है.) – प.न. 123/218 (13) कि. न. 13/.127 है. (दक्षिण ओर), 18/.253, 19/.253 है. प्रत्येक कुल .633 है.।

(iii) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 पूर्णराम – प.न. 123/218 (13) कि. न. 14/.253 है., 16/1/.228, 16/2/.025, 17, 24/.253 है. प्रत्येक, 25/1/.228, 25/2/.025 कुल 1.265 है. आराजी।

(iv) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 हजाराराम –प.न. 123/218 (13) कि. न. 20/.253 है. कुल .253 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:12:07 IST
Reason: SelfAttested

(v) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 3 नुरी बाई – प.न. 123/218 (13) कि. न. 21 ता 23/.253 है. प्रत्येक कुल .759 है. आराजी। उक्त खाते से खातेदार गंडाराम, गहनाराम व हाकम सिंह का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार एवं बिंदूवार दोनों चकों का खाता अलग अगल कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः– यदि निर्णित आराजी बैंक रहन हो तो, रहन मुक्त होने के उपरांत निर्णय की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:12:07 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–**(दिव्या) RAS**

प्रकरण संख्याः–40 / 2024

1. रामचन्द्र पुत्र श्री हाकम सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ
2. लक्ष्मण पुत्र श्री हाकम सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ
3. लाल सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
4. मखनराम पुत्र श्री हाकम सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ

–: वादीगण

बनाम्

1. पूर्णराम पुत्र श्री गहनाराम जाति बाजीगर निवासी रोडावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ
2. हजाराराम पुत्र श्री गंडाराम जाति बाजीगर निवासी रोडावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ
3. नुरी बाई पुत्री श्री गंडाराम पत्नी श्री रंगाराम जाति बाजीगर निवासी रोडावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
4. सिंगारा सिंह उर्फ सिंगाराराम पुत्र श्री गंडाराम (फौत)

   4 / 1 बलवीर राम पुत्र सिंगाराराम उर्फ सिंगारा सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

   4 / 2 गुरचरण सिंह पुत्र श्री सिंगाराराम उर्फ सिंगारा सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

   4 / 3 नसीब कौर पत्नि श्री सिंगाराराम उर्फ सिंगारा सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

   4 / 4 शिवचरण सिंह पुत्र श्री सिंगाराराम उर्फ सिंगारा सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

   4 / 5 सुखचरण सिंह पुत्र श्री सिंगाराराम उर्फ सिंगारा सिंह जाति बाजीगर निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

   4 / 6 राणी कौर पुत्री सिंगाराराम उर्फ सिंगारा सिंह पत्नी कर्मजीत सिह जाति बाजीगर निवासी बंगी रूलदू, तहसील तलवण्डी साबो जिला बठिण्डा (पंजाब)
5. जीतो पुत्री श्री गंडाराम पत्नी श्री प्यारा सिंह जाति बाजीगर निवासी रायेका कला तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
6. भानो बाई पुत्री श्री गंडाराम पत्नी श्री लाटदास जाति बाजीगर निवासी लहरा गागा जिला संगरूर (पंजाब)
7. दारो बाई पुत्री हाकम सिंह पत्नी जामुराम जाति बाजीगर निवासी मोजूखेडा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
8. बसो उर्फ बस्ती देवी पुत्री हाकम सिंह पत्नी ताराराम जाति बाजीगर निवासी फतेहगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
9. सुखो बाई पुत्री हाकम सिंह पत्नी पहलवान जाति बाजीगर निवासी मंगाला तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
10. प्रीतो पुत्री हाकम सिंह पत्नी महेन्द्र जाति बाजीगर निवासी 40 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)
11. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 53, 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महेन्द्र सिंह संधु वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री विश्वजीत सिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 4 / 1 ता 4 / 6, 5 ता 10 [illegible] मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार डिक्री दी ज[illegible] है [illegible]–

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:12:07 IST
Reason: SelfAttested

चक न. 6 के.के.डब्लयू तहसील [illegible] खसरा संख्या 34 / 31, खाता गंडाराम आदि, ज.स. 2074–2077 में दर्ज कुल रकबा 2.783 है. [illegible] प्रविष्टि को विलोपित कर वादी सं. 2, 3 प्रतिवादी सं. 2, 4 / 1, 4 / 2 का हिस्सा, निम्नानुसार [illegible]भाजित कर खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है–

(i) हिस्सा वादी सख्या 2 लक्ष्मण (.633 है.) – प.न. 122/218 (86) कि. न. 11, 12/.253 है. प्रत्येक, 13/.127 है. (पश्चिम ओर) कुल .633 है. आराजी।

(ii) हिस्सा वादी सख्या 3 लाल सिंह (.632 है.) – प.न. 122/218 (86) कि. न. 13/.126 है. (पूर्व ओर), 14, 15/.253 है. प्रत्येक कुल .632 है. आराजी।

(iii) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 हजाराराम – प.न. 122/218 (86) कि. न. 16/.253, 17/.126 (पूर्व), 25/.253 है. कुल .632 है. आराजी।

(iv) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 4/1 बलवीर राम – प.न. 122/218 (86) कि. न. 17/.127 है. (पश्चिम), 18/.253, 19/0.063 है. (पूर्व ओर) कुल .443 है.।

(v) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 4/2 गुरचरण सिंह – प.न. 122/218 (86) कि. न. 19/.190 है. (पश्चिम ओर), 20/.253 है. कुल .443 है.। उक्त खाते से खातेदार गंडाराम, खातेदार गहनाराम व खातेदार हाकमसिंह का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है।

चक न. 11 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 82/58, खाता गंडाराम आदि, ज.स. 2077–2080 कुल रकबा 3.542 है. की वर्तमान प्रविष्टि को विलोपित कर वादी सं. 1, 4 प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 का हिस्सा निम्नानुसार विभाजित कर खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है–

(i) हिस्सा वादी सख्या 1 रामचन्द्र (.632 है.) – प.न. 123/218 (13) कि. न. 11, 12/.253 है. प्रत्येक, 13/.126 है. (उतर ओर) कुल .632 है.।

(ii) हिस्सा वादी सख्या 4 मखनराम (.633 है.) – प.न. 123/218 (13) कि. न. 13/.127 है. (दक्षिण ओर), 18/.253, 19/.253 है. प्रत्येक कुल .633 है.।

(iii) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 1 पूर्णराम – प.न. 123/218 (13) कि. न. 14/.253 है., 16/1/.228, 16/2/.025, 17, 24/.253 है. प्रत्येक, 25/1/.228, 25/2/.025 कुल 1.265 है. आराजी।

(iv) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 हजाराराम – प.न.123/218 (13) कि. न. 20/.253है. कुल .253 है.।

(v) हिस्सा प्रतिवादी सख्या 3 नुरी बाई – प.न. 123/218 (13) कि. न. 21 ता 23/.253 है. प्रत्येक कुल .759 है. आराजी। उक्त खाते से खातेदार गंडाराम, खातेदार गहनाराम व खातेदार हाकम सिंह का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार एवं बिंदूवार दोनों चकों का खाता अलग अगल कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। यदि स्टाम्प ड्यूटी देय बनती है तो तहसीलदार हनुमानगढ गणना कर वसूल करें। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै. मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 05.03.2024 को जारी किया गया।
नोटः– डिक्रीत आराजी रहन हो तो, बाद रहन मुक्त के डिक्री का निष्पादन किया जावें।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:12:07 IST
Reason: SelfAttested